

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय में

2019 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला No.2289

=====

संजीव कुमार कृष्ण मुरारी प्रसाद के पुत्र, मोहल्ला-वार्ड सं 1, जानकी स्थान-बड़ी बाजार, भाबदेवपुर-सीतामढ़ी, थाना और जिला-सीतामढ़ी के निवासी हैं।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य और अन्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार, पटना के प्रमुख सचिव के माध्यम से।
2. अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
3. परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

..... उत्तरदाता/गण

=====

योग्यता सूची को रद्द करना-नियुक्ति के लिए योग्यता-भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय उम्मीदवार के पास मौजूद योग्यता की तुलना विज्ञापन के तहत आवश्यक योग्यता के साथ करने के लिए पाठ्यक्रम की समानता नहीं मान सकता है-विशेषज्ञ निकाय, या तो नियोक्ता या उस संबंध में नियुक्त आयोग पाठ्यक्रम/शिक्षा योग्यता की समानता के मामले में निर्णय ले सकता है-पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए या भर्ती के लिए निर्धारित पात्रता योग्यता पर उचित प्राधिकार द्वारा विचार किया जाना है न कि अदालतों द्वारा-शिक्षा के मामलों को शिक्षाविदों पर छोड़

दिया जाना चाहिए-किसी पद को पात्रता के लिए योग्यता का निर्धारण राज्य या नियोक्ता का मामला है और यह निर्धारित योग्यता के दायरे का विस्तार करने के लिए न्यायिक समीक्षा की भूमिका या कार्य का हिस्सा नहीं है-शैक्षिक योग्यता की समानता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है और इसका निर्णय विशेषज्ञ निकाय या ऐसे काम के लिए योग्य शिक्षाविदों के निकाय द्वारा किया जाना चाहिए।

जिन मामलों पर भरोसा किया गया:

- i. 2019 (3) पी. एल. जे. आर. 915 (जितेंद्र कुमार और अन्य बनाम.मुख्य सचिव और अन्य के माध्यम से बिहार राज्य)

संदर्भित मामले:

- i. ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1631 (मो.सुजात अली बनाम भारत संघ और अन्य)
- ii. (2002) 6 एस. सी. सी. 252 (राजस्थान राज्य बनाम लता अरुण)
- iii. (2021) 12 एस. सी. सी. 390 (आनंद यादव और अन्य बनाम एस.उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य)
- iv. (2019) 2 एस. सी. सी. 404 (जहूर अहमद और अन्य बनाम शेख इम्तियाज अहमद)

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय में

2019 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला No.2289

=====

संजीव कुमार कृष्ण मुरारी प्रसाद के पुत्र, मोहल्ला-वार्ड सं 1, जानकी स्थान-बड़ी बाजार,
भाबदेवपुर-सीतामढ़ी, थाना और जिला-सीतामढ़ी के निवासी हैं।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य और अन्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार, पटना के प्रमुख सचिव के माध्यम से।
2. अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
3. परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

..... उत्तरदाता/गण

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री अभिमन्यु देव, अधिवक्ता

: श्री योगेन्द्र प्रसाद सिन्हा

उत्तरदाता/राज्य के लिए : श्री संजी कुमार सिन्हा, ए. ए. जी. 6 के लिए ए.सी.

बि.लो.से.आ.के लिए : श्री संजय पांडे, अधिवक्ता

: श्री निशांत कुमार झा, अधिवक्ता।

=====

कोरम:माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा ओरल जजमेंट

मौखिक निर्णय

तारीख:02-02-2024

1. वर्तमान रिट आवेदन अनुलग्नक-10 में निहित अंतिम योग्यता सूची दिनांक 23.01.2018 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है जिसमें याचिकाकर्ता का नाम शामिल नहीं किया गया था और उसकी उम्मीदवारी इस आधार पर रद्द कर दी गई थी कि याचिकाकर्ता के पास नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं थी। याचिकाकर्ता ने आगे विज्ञापन संख्या 23/2014 के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कंप्यूटर अभियांत्रिकी/कंप्यूटर विज्ञान के संकाय में सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने का अनुरोध किया है।

2. वर्तमान मामले को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत विभिन्न अभियांत्रिकी महाविद्यालय में कंप्यूटर अभियांत्रिकी/कंप्यूटर विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए बि.लो.से.आ. द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 23/2014 के अनुसरण में। याचिकाकर्ता ने उक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया। विज्ञापन की शर्तों के अनुसार, नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता बी. ई./बी.टेक. और एम.ई./एम.टेक, प्रथम श्रेणी के साथ प्रासंगिक शाखा में या बी.ए./बी.टेक में समकक्ष या एम.ई./एम.टेक के रूप में निर्धारित की गई थी। एम. ई./एम.टेक प्रथम श्रेणी याचिकाकर्ता के पास एम.टेक की योग्यता थी। कम्प्यूटेशनल और सिस्टम बायोलॉजी में। बि.लो.से.आ. ने उम्मीदवारों के आवेदनों और प्रमाणपत्रों की जांच की। बि.लो.से.आ ने 15-10-2015 को एक प्रतिवेदन प्रकाशित की जिसमें कहा गया है कि योग्य उम्मीदवारों/अस्थायी रूप से योग्य उम्मीदवारों और अयोग्य उम्मीदवारों की सूची बि.लो.से.आ. की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है और योग्य उम्मीदवारों और अस्थायी रूप

से योग्य उम्मीदवारों के पक्ष में प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा और यदि कोई अयोग्य उम्मीदवार व्यथित है, तो वह अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ आपत्ति दर्ज कर सकता है। याचिकाकर्ता का नाम अयोग्य उम्मीदवारों की सूची में था और तदनुसार उन्होंने संबंधित दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज की। याचिकाकर्ता को अनंतिम रूप से योग्य घोषित आपत्तियों पर विचार करते हुए और याचिकाकर्ता को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया था जिसमें अनुक्रमणिका संख्या 230347 थी।

3. याचिकाकर्ता 28.11.2015 को आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ। परिणाम 20.04.2016 को प्रकाशित किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता को सफल घोषित किया गया था। उन्हें सभी मूल दस्तावेजों के साथ 12.07.2017 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। वह साक्षात्कार में उपस्थित हुए और संबंधित प्राधिकारी के समक्ष सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए। अंतिम योग्यता सूची 23.01.2018 को प्रकाशित की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता के नाम को जगह नहीं मिली क्योंकि इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता और एक अन्य उम्मीदवार की उम्मीदवारी पत्र संख्या को देखते हुए रद्द कर दी गई है। 2558 दिनांकित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का 14.09.2017 जो कहता है कि एम.टेक। याचिकाकर्ता का प्रमाण पत्र कंप्यूटर अभियांत्रिकी/कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विज्ञापित सहायक प्रोफेसर के पद के लिए प्रासंगिक नहीं है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि आवेदन की जांच करने और याचिकाकर्ता के प्रमाण पत्रों और अन्य दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद लिखित परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया, लेकिन मनमाने ढंग से उनका नाम अंतिम योग्यता सूची में नहीं मिला और उनका एक झूठी दलील लेते हुए उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है कि याचिकाकर्ता का प्रमाण पत्र कंप्यूटर अभियांत्रिकी/कंप्यूटर विज्ञान के पद के लिए प्रासंगिक नहीं है।

5. दूसरी ओर, बि.लो.से.आ. के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि साक्षात्कार पत्र के खंड-5 और प्रवेश पत्र के खंड-8 में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवार की उम्मीदवारी पूरी तरह से अनंतिम है। केवल साक्षात्कार में उपस्थिति उम्मीदवारी की पुष्टि नहीं करती है और आयोग ने प्रासंगिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद आवश्यक निर्णय लेने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है। आयोग ने अस्थायी रूप से याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी की अनुमति दी, उसे लिखित परीक्षा में बैठने का मौका दिया क्योंकि आयोग प्रारंभिक/लिखित परीक्षा स्तर पर किसी भी उम्मीदवार के साथ अन्याय नहीं करना चाहता था। बि.लो.से.आ. इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि कुछ उम्मीदवारों की डिग्री/योग्यता विज्ञापन के विपरीत है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से पत्र संख्या 1390 दिनांक 06-09-2017 के माध्यम से सलाह ली। कुछ एम.टेक की डिग्री के सत्यापन के संबंध में। याचिकाकर्ता की एम.टेक की डिग्री अर्थात् एम.टेक। कम्प्यूटेशनल और सिस्टम बायोलॉजी। विभाग ने उपरोक्त पत्र के अनुपालन में की चार विशेषज्ञ व्यक्तियों की समिति का गठन किया जिसमें (i) श्री नीरज कुमार, सहायक प्राध्यापक (विज्ञान/अभियांत्रिकी) तत्कालीन नालंदा अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंडी (ii) डॉ. नित्यानंद प्रसाद (इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी) तत्कालीन संयुक्त निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार (iii) डॉ. फखरुद्दीन अंसारी (विद्युत अभियांत्रिकी) तत्कालीन प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कटिहार और (iv) डॉ. आर. सी. प्रसाद (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) प्राचार्य, इंजीनियरिंग कॉलेज, मोतिहारी। समिति ने 13.09.2017 को अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत की और विशेषज्ञ समिति की राय के अनुसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने पत्र सं. 2258 दिनांक 14-09-2017 ने आयोग को सूचित किया कि एम.टेक कम्प्यूटेशनल और सिस्टम बायोलॉजी में पाठ्यक्रम कंप्यूटर अभियांत्रिकी/कंप्यूटर विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए प्रासंगिक डिग्री नहीं है।

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के उक्त पत्र के आधार पर, आयोग ने 23.01.2018 को आयोजित अपनी बैठक में याचिकाकर्ता को अपेक्षित योग्यता को पूरा नहीं करने के कारण अयोग्य घोषित करने का निर्णय लिया। आयोग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किए गए नियमों और विनियमों के अनुसार कार्य किया है। वह 2019 (3) पी. एल. जे. आर. 915 में रिपोर्ट किए गए इस अदालत के खंड पीठ के जितेंद्र कुमार और अन्य बनाम मुख्य सचिव और अन्य के माध्यम से बिहार राज्य फैसले पर निर्भर है।

7. राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जापन संख्या 37-3 दिनांकित 22.01.2010 वाली अधिसूचना देखें जिसके तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (संक्षेप में "ए. आई. सी. टी. ई.") के संबंधित अधिकारियों ने तकनीकी संस्थानों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए वेतनमान, सेवा शर्तों और योग्यताओं को निर्धारित किया। अधिसूचना में कहा गया है कि अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी विषय में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता बी. ई./बी.टेक और एम. ई./एम.टेक। प्रथम श्रेणी के साथ प्रासंगिक शाखा में या बी.ई./बी.टेक में समकक्ष। या एम. ई./एम.टेक। नियुक्ति के लिए विज्ञापन इस अधिसूचना के आलोक में जारी किया गया है। ए.आई.सी.टी.ई. दिनांक 28/04/2017 द्वारा जारी आगे की अधिसूचना में कहा गया है कि प्रमुख/मुख्य शाखा जहां शिक्षक के रूप में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी, यू. जी., पी. जी. में डिग्री के लिए प्रासंगिक/उपयुक्त पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं और जहां कम्प्यूटेशनल और सिस्टम बायोलॉजी के विषय में मास्टर डिग्री का सीमांकन/कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर इंजीनियरिंग के विषय के लिए प्रासंगिक/उपयुक्त पी. जी. डिग्री के रूप में नहीं माना गया है, याचिकाकर्ता की एम टेक कम्प्यूटेशनल और सिस्टम बायोलॉजी के विषय कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर इंजीनियरिंग के विषय में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए प्रासंगिक डिग्री नहीं है।

8. याचिकाकर्ता की डिग्री सहित विभिन्न डिग्री की प्रासंगिकता पर विचार करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की दिनांक 13.09.2017 की बैठक के कार्यवृत्त में लिखा है कि विशेषज्ञ समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि एम.टेक राज्य के विभिन्न अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में कंप्यूटर अभियांत्रिकी/कंप्यूटर विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए कम्प्यूटेशनल और सिस्टम बायोलॉजी विषय में डिग्री प्रासंगिक डिग्री नहीं है।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और विज्ञापन सहित अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है। विज्ञापन में निर्धारित कंप्यूटर अभियांत्रिकी/कंप्यूटर विज्ञान के सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन के अनुसार आवश्यक योग्यता बी.ई./बी.टेक है। और एम.ई./एम.टेक बी. ई./बी.टेक में प्रथम श्रेणी या समकक्ष के साथ प्रासंगिक शाखा में। या एम. ई./एम.टेक। याचिकाकर्ता के पास एम.टेक कम्प्यूटेशनल और सिस्टम बायोलॉजी के विषय में डिग्री है। अब जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या एम.टेक है। कम्प्यूटेशनल और सिस्टम बायोलॉजी में याचिकाकर्ता विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता है। याचिकाकर्ता को परीक्षा देने के लिए अस्थायी रूप से योग्य घोषित किया गया था, हालांकि उसका नाम अंतिम योग्यता सूची में इस आधार पर नहीं मिला कि याचिकाकर्ता के पास पद के लिए वांछित योग्यता नहीं है। और कम्प्यूटेशनल और सिस्टम बायोलॉजी में एम टेक की डिग्री विज्ञापन में निर्धारित शैक्षिक पात्रता मानदंड के बराबर नहीं है। इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था और विशेषज्ञ समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कम्प्यूटेशनल और सिस्टम बायोलॉजी में एम.टेक पाठ्यक्रम कंप्यूटर इंजीनियरिंग/कंप्यूटर विज्ञान के विषय में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए एक प्रासंगिक डिग्री नहीं है।

10. जितेंद्र कुमार (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने निर्णय दिया है कि उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उम्मीदवार के पास मौजूद योग्यता की तुलना विज्ञापन के तहत आवश्यक योग्यता के साथ करने के लिए पाठ्यक्रम की समानता नहीं मान सकता है। यह विशेषज्ञ निकाय यानी नियोक्ता या आयोग को इस तरह की समानता तय करने के लिए मामले में निर्णय लेना है।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1631 मोहम्मद सुजात अली बनाम भारत संघ में दिए गए निर्णय में माना है कि शैक्षिक योग्यताओं की समानता के संबंध में प्रश्न एक तकनीकी प्रश्न है जो प्रासंगिक शैक्षणिक मानक के उचित आकलन और मूल्यांकन, ऐसी योग्यताओं की व्यावहारिक प्राप्ति पर आधारित है और जहां सरकार का निर्णय एक विशेषज्ञ निकाय की सिफारिश पर आधारित है, जिसके पास इस तरह के कार्य को पर्याप्त रूप से करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता है, अदालत, प्रासंगिक डेटा से अनजान और समानता निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक तकनीकी अंतर्दृष्टि की सहायता के बिना सरकार के निर्णय को बाधित नहीं करेगी।

12. (2002) 6 एस. सी. सी. 252 (राजस्थान राज्य बनाम लता अरुण) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पाठ्यक्रम में प्रवेश या भर्ती के लिए निर्धारित पात्रता योग्यता पर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिए और यह निर्णय करना अदालतों का काम नहीं है कि कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता प्राधिकरण द्वारा निर्धारित स्वीकृत योग्यता के बराबर होनी चाहिए या नहीं।

13. (2021) 12 एस. सी. सी. 390 (आनंद यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में प्रतिवेदित किए गए एक अन्य फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है

कि शिक्षा के मामले इसे शिक्षाविदों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। विशेषज्ञों के निर्णय पर एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में बैठना न्यायालय का कार्य नहीं है।

14. (2019) 2 एस. सी. सी. 404 जहूर अहमद और अन्य बनाम शेख इम्तियाज अहमद में प्रतिवेदित एक अन्य फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किसी पद के लिए योग्यता का प्रिस्क्रिप्शन भर्ती नीति का मामला है। नियोक्ता के रूप में राज्य पात्रता की शर्त के रूप में योग्यता निर्धारित करने का हकदार है। यह निर्धारित योग्यताओं के दायरे में विस्तार करने के लिए न्यायिक समीक्षा की भूमिका या कार्य का कोई हिस्सा नहीं है। इसी तरह, किसी योग्यता की समानता कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में निर्धारित किया जा सके। किसी विशेष योग्यता को समकक्ष माना जाना चाहिए या नहीं, यह राज्य को, भर्ती प्राधिकरण के रूप में, निर्धारित करना है। किसी पद के लिए योग्यता निर्धारित करते समय, नियोक्ता के रूप में राज्य वैध रूप से नौकरी की प्रकृति, कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक योग्यता, योग्यता की कार्यक्षमता और पाठ्यक्रम की सामग्री सहित कई विशेषताओं को ध्यान में रख सकता है। राज्य को अपनी सार्वजनिक सेवाओं की जरूरतों का आकलन करने का अधिकार सौंपा गया है।

15. अब, यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि शैक्षणिक योग्यता की समानता का प्रश्न भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है और इसका निर्णय विशेषज्ञ निकाय या ऐसी नौकरी के लिए योग्य शिक्षाविदों के निकाय द्वारा किया जाता है। यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक शैक्षणिक योग्यता को अन्य योग्यता के समकक्ष नहीं ठहरा सकता है क्योंकि यह योग्यता की समानता प्राप्त करने के लिए न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं है। न्यायालय के पास दो योग्यताओं की तुलना करने

के क्षेत्र में प्रवेश करने की विशेषज्ञता नहीं है, लेकिन समानता घोषित करने की हिम्मत नहीं है।

16. वर्तमान मामले में शिक्षाविदों/विद्याविदों को विशेषज्ञ समिति में शामिल किया गया था जिसने विज्ञापन में निर्धारित योग्यता के साथ याचिकाकर्ता की योग्यता की जांच की थी। उचित विचार-विमर्श पर विशेषज्ञ समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि याचिकाकर्ता के पास योग्यता अर्थात् एम.टेक है। कम्प्यूटेशनल और सिस्टम बायोलॉजी में विज्ञापित पद के खिलाफ नियुक्ति के लिए प्रासंगिक/समकक्ष डिग्री नहीं है।

17. इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के और अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में योग्यता की समानता के बिंदु पर तथ्यों और कानूनी स्थिति की जांच करने के बाद इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि विशेषज्ञ समिति ने याचिकाकर्ता के पास योग्यता और विज्ञापन में निर्धारित योग्यता के क्षेत्र में प्रवेश किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ता के पास विज्ञापन के अनुसार आवश्यक योग्यता नहीं है, इसलिए मुझे याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को रद्द करने के बि.लो.से.आ. के निर्णय में कोई अवैधता नहीं मिलती है।

18. तदनुसार, आवेदन खारिज किया जाता है।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रफुल्ल/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।